न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00483

हरिशंकर आत्मज चतरा जाति मीणा निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बूढिया आत्मज सुख जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   1/1. नन्दकिशोर आत्मज बूढिया जी ।
   1/2. धनराज आत्मज बूढिया जाति बलाई निवासीगण ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद ।
2. बजरंग लाल आत्मज कालूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम गांवडी जागीर रंगपुर के पास तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 05.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 75 व 77 की भूमि स्थिति है । उक्त भूमि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अन्य भूमियों के साथ दर्ज चली आ रही है । इसी प्रकार ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद में अन्य भूमियों के साथ पुराने खसरा नम्बर 12 की 17 बीघा 04 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही थी । उक्त भूमि कजोड पुत्र तेजा जाति मीणा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 75 की रकबा 0.11 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 77 की रकबा 2.34 हैक्टर कायम किये गये । वादी के खाते की भूमि के सहारे प्रतिवादीगण के खाते की पुराने खसरा नम्बर 11 की 16 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित थी । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 78

रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 80 रकबा 1.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.78 हैक्टर कुल 2.67 हैक्टर कायम किये । प्रतिवादीगण के खाते की पुराने रकबे के अनुसार 16 बीघा 02 बिस्वा भूमि के 2.57 हैक्टर भूमि बनती है किन्तु प्रतिवादी क्रम 03 ने 2.57 हैक्टर के स्थान पर 2.67 हैक्टर भूमि दर्ज कर दी है। इस प्रकार 0.10 हैक्टर भूमि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खाते गलत रूप से दर्ज की गई है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 पुराने रकबे के अनुसार 2.57 हैक्टर भूमि ही रखने के अधिकारी हैं और मौके पर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पास 16 बीघा 02 बिस्वा यानि 2.57 हैक्टर भूमि पर ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादी पुराने रकबे के अनुसार 17 बीघा 04 बिस्वा भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु प्रतिवादी क्रम 03 ने सेटलमेंट के दौरान 2.75 हैक्टर भूमि के स्थान पर 2.45 हैक्टर भूमि ही दर्ज की है । इस प्रकार 0.30 हैक्टर भूमि कम दर्ज की गई है । वादी के खाते से कम की गई भूमि की कमी पूर्ति प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के खाते में अधिक दर्ज की गई 0.10 हैक्टर भूमि में से एवं 0.20 हैक्टर भूमि सिवायचक भूमि से पूर्ति किया जाना आवश्यक है क्योंकि वादी मौके पर 2.75 हैक्टर भूमि पर ही काबिज काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादीगण वादी को उसकी 0.30 हैक्टर कम की गई भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा की पुराने खसरा नम्बर 12 की 17 बीघा 04 बिस्वा भूमि के नये खसरा नम्बर 75 व 77 की 2.45 हैक्टर भूमि के स्थान पर 2.75 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे । प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 के खाते की आराजी खसरा नम्बअर 78, 79, 80, 81, 89 की 2.67 हैक्टर में से अधिक दर्ज की गई 0.10 हैक्टर भूमि कम की जाकर वादी के खाते दर्ज की जावे । इसी प्रकार 0.20 हैक्टर भूमि सिवाय चक खाते से कम की जाकर वादी के खाते में दर्ज की जाकर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे खसरा नम्बर 75 व 77 की 2.75 हैक्टर भूमि से वादी को बेदखल नहीं करें तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 12 की 17 बीघा 04 बिस्वा भूमि स्थित थी जिसके बाद सेटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 75 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 77 रकबा 2.34 हैक्टर कुल 02 किता की 2.45 हैक्टर आराजी अपीलान्ट के नाम दर्ज की गई । इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा 2.75 हैक्टर के स्थान पर मात्र 2.45 हैक्टर आराजी ही दर्ज की जो गत रकबे के मुकाबले 0.30 हैक्टर आराजी कम दर्ज की जबकि मौके पर अपीलान्ट 2.75 हैक्टर आराजी पर ही काबिज काश्त है जिसे अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित कर दिया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार

फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 12 की रकबा 17 बीघा 04 बिस्वा आराजी अपीलान्ट के नाम दर्ज थी जिसको सेटलमेंट के दौरान नये नम्बर 75 रकबा 0.11 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 77 रकबा 2.34 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 2.45 हैक्टर कायम किया गया जबकि रकबा 2.75 हैक्टर कायम होना चाहिए था । इस प्रकार 0.30 हैक्टर आराजी कम दर्ज की गई है । अपीलान्ट ने अपना पक्ष मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया था फिर भी दावा खारिज कर दिया । रेस्पोडेन्ट की आराजी अपीलान्ट से लगवा है उनके खाते की आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 16 बीघा 02 बिस्वा आराजी दर्ज थी जिसको सेटलमेंट के उपरान्त नये खसरा नम्बर 78 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 80 रकबा 1.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 89 राकबा 0.78 हैक्टर कुल 05 किता की 2.67 हैक्टर कायम किये गये जो गत रकबे के मुकाबले 0.10 हैक्टर अधिक है जो अपीलान्ट के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था । आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 0.08 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 69 रकबा 8.93 हैक्टर में से 0.64 हैक्टर पर अपीलान्ट काबिज काश्त है जिसमें से से कमी रकबे की पूति की जा सकती थी । इसके लिए धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के नोटिस अपीलान्ट को दिये जाते है। पी–14 में भी अपीलान्ट का नाम दर्ज है फिर भी दावा वादी खारिज किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के खाते की आराजी सरकारी रकबे में शामिल नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल मिलान क्षेत्रफलसंवत् 2043 से 2062 संलग्न है जिसके अनुसार 10 मिन और 30 मिन के हाल खसरा नम्बर 69 और खसरा नम्बर 76 कायम किये गये हैं । नकल जमाबन्दी संवत् 2065–68 प्रदर्श– पी–1 संलग्न है जिसके अनुसार हरिशंकर पुत्र चतरा के खाते में कुल 05 किता की 4.56 हैक्टर आराजी दर्ज और जिसमें हाल खसरा नम्बर 77 रकबा 2.34 हैक्टर शामिल है । नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श–पी–2, नजरी नक्शा हाल खसरा नम्बरान प्रदर्श– पी– 3 संलग्न हैं । नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–पी– 4 संलग्न है जिसमें साबिक खसरा नम्बर 12 की रकबा 17 बीघा 04 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 75 रकबा 0.11 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 77 रकबा 2.34 हैक्टर बने हैं, शामिल है। नकल जमाबन्दी संवत् 2034–37 प्रदर्श–पी– 5 संलग्न है जिसमें अन्य खसरा नम्बरान के साथ साबिक खसरा नम्बर 12 की रकबा 17 बीघा 04 बिस्वा भूमि कजोड पुत्र तेज्या के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2065–68 प्रदर्श– पी– 6 संलग्न है

जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट के खाते में कुल 05 किता की 2.67 हैक्टर आराजी दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–पी– 7 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 11 मिन की रकबा 16 बीघा 02 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 78 रकबा 0.16 हैक्टर, 69 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 80 रकबा 1.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.06 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 89 रकबा 0.78 हैक्टर कायम किये गये हैं । नजरी नक्शा साबिक खसरा नम्बरान प्रदर्श– पी–8 संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2034–2037 प्रदर्श – 9 संलग्न है जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट के खाते में साबिक खसरा नम्बर 11 की 16 बीघा 02 बिस्वा भूमि दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2065–68 प्रदर्श–पी–10 संलग्न है जिसके अनुसार सरकार के खाते में हाल खसरा नम्बर 69 की रकबा 8.93 हैक्टर दर्ज है ।

10. वादी की ओर से बयानों में हरिशंकर की शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 के रूप में पेश किया है परन्तु उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद नहीं की है ।

11. वादी का यह कथन है कि उसके खाते की आराजी कम की जाकर प्रतिवादी के खाते में 0.10 हैक्टर आराजी अधिक दर्ज की गई है । सरकारी सिवायचक रकबे से 0.20 हैक्टर आराजी उनके खाते में दर्ज की जाकर उनका रकबा पूर्ति की जावे । परन्तु वादी के खाते की आराजी सरकारी सिवायचक रकबे में शामिल की गई हो ऐसा वादी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाया है । तद्नुसार सरकारी सिवायचक रकबे से उनके खाते में 0.20 हैक्टर आराजी दर्ज नहीं की जा सकती। जहॉ तक प्रतिवादी क्रम 01 के खाते में 0.10 हैक्टर आराजी अधिक दर्ज होने का प्रश्न है इस क्रम में साबिक एवं हाल नक्शे का मिलान किया गया । साबिक एवं हाल का मिलान करने से यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी के खाते में जो 0.10 हैक्टर अधिक दर्ज की गई है वो वादी के खाते की आराजी से नहीं वरन् सरकारी सिवायचक रकबे को शामिल करने की वजह से अधिक दर्ज हुई है क्योंकि हाल खसरा नम्बर 78, 80, 79 एवं 81 की सीमाओं का मिलान साबिक खसरा नम्बर 11 और 12 के अनुसार हो रहा है । नक्शों का मिलान करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वादी के खाते का कुछ रकबा हाल खसरा नम्बर 74 में शामिल हो गया है परन्तु वादी ने इस खसरा नम्बर में से अपने रकबे की पूर्ति की सहायता नहीं मांगी है । वादी ने प्रतिवादी के खाते की आराजी में से रकबा पूर्ति करने की प्रार्थना की है जबकि प्रतिवादी के खाते में वादी के खाते की आराजी शामिल नहीं की गई है और न ही सरकारी सिवायचक में वादी के खाते की आराजी से रकवा दर्ज किया गया है । इस प्रकार वादी अपने दावे को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाये हैं । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2019/000483

हरिशंकर आत्मज चतरा जाति मीणा निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. बूढिया आत्मज सुख जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. नन्दकिशोर आत्मज बूढिया जी ।
   1/2. धनराज आत्मज बूढिया जाति बलाई निवासीगण ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद
2. बजरंग लाल आत्मज कालूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम गांवडी जागीर रंगपुर के पास तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 103/दावा/2011

हरिशंकर आत्मज चतरा जाति मीणा निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. बूढिया आत्मज सुक्खा जी जाति बलाई निवासी भीमपुरा ।
2. बजरंग लाल आत्मज कालूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम गांवडी जागीर रंगपुर के पास तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 05.02.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2019 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 05.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

5/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा